

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
₹.1000ONE THOUSAN
Rs.1000

यादास्त बँटवारा-पत्र

1. लेख्यकारीण का नाम एवं पुरा पता :-

(I) श्री धन्नजय शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय इन्द्रदेव शर्मा, निवास स्थान - कुर्रे, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार), भारतीय नागरिक

प्रथम पक्ष।



Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh
Director

श्री धन्नजय शर्मा
Date S/o Infratech Pvt. Ltd.
Date. 11.7.17
S/o, Sri Dhannajay Sharma
Date. 11.7.17
Santosh Kumar Santosh Raj
S/o Sri Dhannajay Sharma

R 801952



(II) श्री अशोक कुमार, पिता का नाम श्री धन्नजय शर्मा, निवास स्थान - कुर्रे, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार)

..... द्वितीय पक्ष।

(III) श्री संतोष कुमार, पिता का नाम श्री धन्नजय शर्मा, निवास स्थान - कुर्रे, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार)

..... तृतीय पक्ष।

राष्ट्रीयता - भारतीय, (इसमें इनके उत्तराधिकारीगण, स्थानापन्न एवं विधिक प्रतिनिधि इत्यादि सम्मिलित हैं)।

2. लेख्यधारीगण का नाम एवं पुरा पता :-

आपस में एक दूसरे पक्ष के लिए।

3. लेख्य प्रकार :-

यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र (Deed of Memorandum of Partition cum family Arrangement).

4. तायदाद रूपया :-

x-----x-----x-----x

5. सम्पति का सम्पूर्ण विवरण :-

अनुसूची सं० -1

सम्पति जिसका बँटवारा हो रहा है :-

मौजा - अतरदह उर्फ सलाहपुर बुधन,
थाना - मुजफ्फरपुर,
जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार),
जिला निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार),
अंचल अधिकारी कार्यालय - मुसहरी (बिहार),

क्षेत्रफल लगभग 96 (छिआनवे) धुर

थाना संख्या - 342 (तीन सौ बयालीस),
तौजी संख्या - बिहार सरकार,
खाता संख्या - 274 / 165,
सर्वे खेसरा संख्या - 42 नया मी० / 47 / 48 मी० पुराना,

-: : चौहद्दी : :-

उत्तर :- वासुदेव प्रसाद अग्रवाल.
दक्षिण :- सहायक रोड़.
पूरब :- धनचरण देवी वगैरह.
पश्चिम :- रोड़.



Santosh Kumar Santosh Ray

Date-11.7.17

Date-11.7.17

अशोक कुमार

Date-11.7.17

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh
Director

अनुसूची सं० -2

यह सम्पत्ति आपसी यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र द्वारा श्री धन्नजय शर्मा प्रथम पक्ष को मिला वो करार पाया।

मौजा	-	अतरदह उर्फ सलाहपुर बुधन,
थाना	-	मुजफ्फरपुर,
जिला	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
जिला निबंधन कार्यालय	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
अंचल अधिकारी कार्यालय	-	मुसहरी (बिहार),
क्षेत्रफल लगभग 48 (अड़तालीस) धुर		
थाना संख्या	-	342 (तीन सौ बयालीस),
तौजी संख्या	-	बिहार सरकार,
खाता संख्या	-	274 / 165,
सर्वे खेसरा संख्या	-	42 नया मी० / 47 / 48 मी० पुराना,

अनुसूची सं० -3

यह सम्पत्ति आपसी यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र द्वारा श्री अशोक कुमार द्वितीय पक्ष को मिला वो करार पाया।

मौजा	-	अतरदह उर्फ सलाहपुर बुधन,
थाना	-	मुजफ्फरपुर,
जिला	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
जिला निबंधन कार्यालय	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
अंचल अधिकारी कार्यालय	-	मुसहरी (बिहार),
क्षेत्रफल लगभग 24 (चौबीस) धुर		
थाना संख्या	-	342 (तीन सौ बयालीस),
तौजी संख्या	-	बिहार सरकार,
खाता संख्या	-	274 / 165,
सर्वे खेसरा संख्या	-	42 नया मी० / 47 / 48 मी० पुराना,

अनुसूची सं० -4

यह सम्पत्ति आपसी यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र द्वारा श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष को मिला वो करार पाया।

मौजा	-	अतरदह उर्फ सलाहपुर बुधन,
थाना	-	मुजफ्फरपुर,
जिला	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
जिला निबंधन कार्यालय	-	मुजफ्फरपुर (बिहार),
अंचल अधिकारी कार्यालय	-	मुसहरी (बिहार),
क्षेत्रफल लगभग 24 (चौबीस) धुर		
थाना संख्या	-	342 (तीन सौ बयालीस),
तौजी संख्या	-	बिहार सरकार,
खाता संख्या	-	274 / 165,
सर्वे खेसरा संख्या	-	42 नया मी० / 47 / 48 मी० पुराना,

Ashok Kumar Santosh Kumar Santosh Raj

Date-11.7.17

Date-11.7.17

Date-11.7.17

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director



— : संदर्भ : —

हकिकत यह हैं कि श्री धन्नजय शर्मा प्रथम पक्ष की एक पत्नी श्रीमती सावित्री देवी, दो पुत्रगण श्री अशोक कुमार द्वितीय पक्ष एवं श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष हैं तथा हिन्दु अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में, हिन्दु अविभाजित परिवार में साथ रहते हुए, हिन्दु अविभाजित परिवार के धनराशि के द्वारा श्रीमती सावित्री देवी (प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष की माता) के नाम से 1. दिनांक - 15-07-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति मे से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 13946, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 133, पृष्ठ संख्या - 20 से 22 तक निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री विनोद कुमार, पिता का नाम श्री जगन्नाथ सिंह, निवास स्थान - धुमनगर धरफरी, थाना - दवरिया, जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) से खरीद किये हैं, 2. दिनांक - 15-07-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति मे से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 13947, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 133, पृष्ठ संख्या - 23 से 25 तक निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री विनोद कुमार, पिता का नाम श्री जगन्नाथ सिंह, निवास स्थान - धुमनगर धरफरी, थाना - दवरिया, जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) से खरीद किये हैं, 3. दिनांक - 16-09-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति मे से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 18134, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 61, पृष्ठ संख्या - 540 से 542 तक निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री कामेश्वर सिंह, पिता का नाम श्री जगेश्वर सिंह, निवास स्थान - गोविन्द बहिलवारा, थाना - सरैया, जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) से खरीद किये हैं एवं 4. दिनांक - 16-09-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति मे से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 18135, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 61, पृष्ठ संख्या - 543 से 545 तक निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री कामेश्वर सिंह, पिता का नाम श्री जगेश्वर सिंह, निवास स्थान - गोविन्द बहिलवारा, थाना - सरैया, जिला - मुजफ्फरपुर (बिहार) से खरीद किये हैं, जिसका लगान श्रीमती सावित्री देवी (प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष की माता) के नाम से अंचलाधिकारी कार्यालय, मुसहरी (बिहार) को जमाबन्दी संख्या - 1004/6 पर दिया जा रहा हैं।

यह कि श्री अशोक कुमार (भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष सं० II) के नाम से 1. दिनांक - 15-07-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति मे से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 13948, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 88, पृष्ठ संख्या - 508 से 510 तक निबंधन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री कामेश्वर सिंह, पिता का नाम श्री चन्द्रदेव प्रसाद सिंह, निवास स्थान - पटनेर, थाना - लखीसराय, जिला - मुगेर (बिहार) से खरीद किये हैं एवं 2.

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director



Arshok Kumar Santosh Kumar & Santosh Raj

Date-11.7.17

Date-11.7.17

Date-11.7.17

अशोक कुमार



दिनांक - 16-09-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति में से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 18132, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 61, पृष्ठ संख्या - 534 से 536 तक निबन्धन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री चनरधन देवी, पिता का नाम श्री रामलाल सिंह, निवास स्थान - सरसई, थाना - सराय, जिला - वैशाली (बिहार) से खरीद किये हैं, जिसका लगान श्री अशोक कुमार (भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष सं० II) के नाम से अंचलाधिकारी कार्यालय, मुसहरी (बिहार) को जमाबन्दी संख्या - 1006/6 पर दिया जा रहा है।

यह कि श्री संतोष कुमार (भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष सं० III) के नाम से 1. दिनांक - 15-07-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति में से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 13947, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 88, पृष्ठ संख्या - 505 से 507 तक निबन्धन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री कामेश्वर सिंह, पिता का नाम श्री चन्द्रदेव प्रसाद सिंह, निवास स्थान - पटनेर, थाना - लखीसराय, जिला - मुगेर (बिहार) से खरीद किये हैं एवं 2. दिनांक - 16-09-1988 ई० को अनुसूची - I में वर्णित सम्पत्ति में से 12 धुर भूमि निबन्धित विक्रय-पत्र संख्या - 18133, पुस्तक संख्या - 1, जिल्द संख्या - 61, पृष्ठ संख्या - 537 से 539 तक निबन्धन कार्यालय - मुजफ्फरपुर (बिहार) के द्वारा श्री चनरधन देवी, पिता का नाम श्री रामलाल सिंह, निवास स्थान - सरसई, थाना - सराय, जिला - वैशाली (बिहार) से खरीद किये हैं, जिसका लगान श्री अशोक कुमार (भूखण्ड स्वामी / प्रथम पक्ष सं० II) के नाम से अंचलाधिकारी कार्यालय, मुसहरी (बिहार) को जमाबन्दी संख्या - 1005/6 पर दिया जा रहा है।

यह कि श्री धन्नजय शर्मा प्रथम पक्ष, श्रीमती सावित्री देवी (प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष की मात), श्री अशोक कुमार द्वितीय पक्ष एवं श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष इजमालन वहैसियत भूस्वामीगण बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांतिपूर्वक रहते हुए चले आये, समयोपरान्त श्रीमती सावित्री देवी (प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष की माता) का स्वर्गवास हो गया, श्रीमती सावित्री देवी (प्रथम पक्ष की पत्नी वो द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष की माता) के स्वर्गवास के पश्चात् श्री धन्नजय शर्मा प्रथम पक्ष, श्री अशोक कुमार द्वितीय पक्ष एवं श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर इजमालन काबिज-दाखिल रहते हुये, आपस में दोनों पक्ष खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -1 में वर्णित सम्पत्ति को, उपरोक्त अनुसूची के अनुसार इस दस्तावेज के निष्पादन के पूर्व ही मौखिक बैठवारा सह पारिवारिक व्यवस्था किया ताकि भविष्य में किसी तरह का मतभेद या विवाद नहीं रहे और आपसी पारिवारिक संबंध कायम रहे। इस दस्तावेज के निष्पादन के पूर्व ही उपरोक्त सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से के अनुसार बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप के शांतिपूर्वक काबिज दाखिल एवं मालिक मुस्तफ़े रहते चले



Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director

Ashok Kumar Santosh Kumar Santosh Kumar

Date - 11.7.17

Date - 11.7.17

आते हैं वो हैं, लेकिन इस सन्दर्भ में किसी प्रकार का लिखित दस्तावेज नहीं होने के कारण तथा कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु यह यादास्त सह पारिवारिक व्यवस्था-पत्र कागजी रूप में बना लेना उचित समझा, इसलिए सभी पक्षों ने अपने-अपने स्वस्थावस्था में रहकर अपने-अपने सम्पूर्ण लाभ एवं हानि को समझ-बुझकर वो अपने-अपने हितैषियों को कानूनी सलाहकारों से राय एवं परामर्श बिना किसी दबाव, धमकाव एवं बहाव के उक्त अनुसूची के अनुसार यादास्त बँटवारा सह पारिवारिक व्यवस्था-पत्र को लिखित किया।

यह कि इस यादास्त बँटवारा सह पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के द्वारा खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -2 में वर्णित सम्पत्ति श्री धन्नजय शर्मा प्रथम पक्ष, खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -3 में वर्णित सम्पत्ति श्री अशोक कुमार द्वितीय पक्ष एवं खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -4 में वर्णित सम्पत्ति श्री संतोष कुमार तृतीय पक्ष को खास हक वो हिस्से में मिला, जिसपर सभी पक्ष अपने-अपने अनुसूची में मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति को जिस तरह से चाहें अपने-अपने उपयोग वो उपभोग में लावें (जैसे बिक्री करें, लीज पर लगावें, मौर्गेज करें, निर्माण करवायें अथवा किसी प्रकार का हस्तानान्तरण इत्यादि करें) तथा सभी पक्ष को अपने-अपने अनुसूची के अनुसार मिले सम्पत्ति पर सम्पूर्ण हक, स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं, सभी पक्ष अपने-अपने अनुसूची में मिले सम्पत्ति पर काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर वो रहकर इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के माध्यम से सभी पक्ष अपना-अपना नाम जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझें दर्ज करा लेंगे, इसमें एक दुसरे पक्ष एवं इनके उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

यह कि यदि एक पक्ष, दूसरे पक्ष के अनुसूची के हिस्से की सम्पत्ति पर किसी प्रकार के अधिकार, उन्मुक्ति या विशेषाधिकार का दावा करते हैं, तो वह दावा इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के आधार पर अवैधानिक, शून्य, गलत, अमान्य वो गैरकानूनी समझा जायेगा और किसी अदालत में सुनवाई के लायक नहीं रहेगा।

यह कि दोनों पक्ष एकरार करते हैं कि बँटवारा हर तरह के नुकस हकियत वो सभी तरह के ऋण भारों, बैंक ऋण, व्यक्ति ऋण वो अन्य तरह के वाद-विवाद से बिल्कुल मुक्त एवं पाक साफ है तथा उक्त सम्पत्ति से संबंधित कोई पक्ष किसी अन्य व्यक्ति के नाम से बँटवारा किए जा रहे सम्पत्ति के किसी भी हिस्से के निश्वत किसी प्रकार का हस्तानान्तरण-पत्र या बिक्रय-अनुबन्ध नहीं लिखे है वो न किये है, अगर किसी भी पक्ष या इनके उत्तराधिकारीगण उक्त या अन्य वजह से अपने हिस्से में मिले सम्पत्ति के अंश भाग या कुल भू-भाग से बेदखल हो जायें या कर दिये जायें या किसी तरह का ऋण अदाय करना पड़े तो वैसी सूरत में उसकी अदय की पाबन्दी उसी पक्ष की होगी, जिन्होंने किया होगा।

यह कि यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र से लेख्यकारीगण तथा लेख्यकारीगण के उत्तराधिकारीगण भी बाध्य हैं वो होंगे।

Satyakab Inftratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director



Santosh Kumar Santosh Ray

Date: 11.7.17

Arshok Kumar

Date: 11.7.17

अशोक कुमार

Date: 11.7.17

वास्ते यह वसीका यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र पर लेख्यकारीगण अपने-अपने मानसिक वो शारीरिक स्वस्थ-अवस्था में रहकर बिना किसी बाहरी अनुचित दबाव वो धमकाव के अपने-अपने तथा अपने-अपने परिवार के हानि-लाभ को पूर्ण ज्ञान सहित भली-भाँति समझ वो बुझकर तथा हितैषियों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श लेकर यह वसीका बनाम वो वहक एक पक्ष दुसरे पक्ष को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

दिनांक -

गवाहगण का हस्ताक्षर :-

- (1) Ajay Kumar
Postal Park Road No-1
Patna-1 11/7/17
- (2) Arjun Kumar
Atipoo-Parsa, Dist- Chapra
11/7/17
- (3) Chananjay Shermu
Dyena, Jhansbad
11/7/17
- (4) Ashok Kumar
Vidh. B. Rasulul
Sasam-
11/7/17



(प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर)

[Signature]

Date- 11.7.17

(द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर)

Ashok Kumar

Date- 11.7.17

(तृतीय पक्ष का हस्ताक्षर)

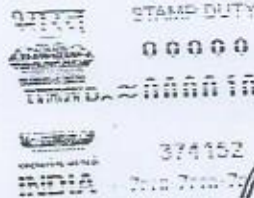
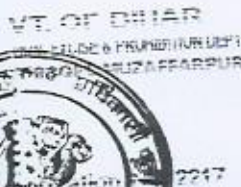
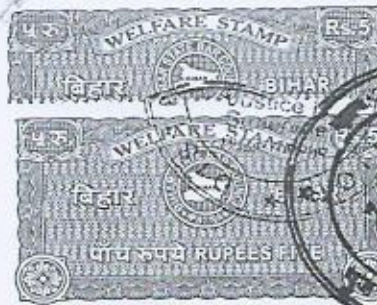
① धनंजय शर्मा पिता (महेश्वर देव शर्मा)
Santosh Kumar Santosh Raj
District, Bihar
whose identification is shree
advised to appear in my court
Before me and before a Magistrate that all the
facts presented in the affidavit are true and
copy of its portion is false.

Executive Magistrate
Muzaffarpur / Bihar

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director



शपथ-पत्र

मैं श्री धन्नजय शर्मा, पिता का नाम स्वर्गीय इन्द्रदेव शर्मा, निवास स्थान - कुरै, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार), भारतीय नागरिक, निम्न बातें शपथ पूर्वक कहता हूँ कि :- **दादा मो काम - अतराह**

1. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में मैं प्रथम पक्ष हूँ तथा इसमें दी गयी सभी शर्तों को तथ्यों से पूर्णरूपेण अवगत हूँ।

2. यह कि सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से पर पूर्णरूपेण उपरोक्त अनुसूची के अनुसार भू-स्वामीगण के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुये चले आ रहे हैं।

3. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में प्रथम पक्ष के हैसियत से मुझे खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -2 में वर्णित सम्पत्ति खास हक वो हिस्से में मिला, जिस पर मैं पूर्णरूपेण भू-स्वामी के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर चलते चले आ रहे हैं वो हैं। इसके अलावा खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -3 एवं 4 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हक, स्वामित्व वो दावा मेरा नहीं है न भविष्य में होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका विवरण खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -3 में वर्णित है एवं तृतीय पक्ष को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका विवरण खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -4 में वर्णित है, को जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो उपभोग में लावें, द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष अपने अनुसूची में मिले सम्पत्ति को इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के माध्यम से अपना नाम जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य समझें दर्ज करा लेंगे, इसमें मुझे वो मेरे उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

5. यह कि मैंने उपरोक्त शपथ-पत्र वो दस्तावेज के शर्तों को तथ्यों को पढ़कर समझ लिया है जो मेरी जानकारी में सही और सत्य है।



श्री धन्नजय शर्मा
District Jhamaabad, Bihar
Whose identity is proved in my court
before me and whose signature is true and
correctly made in the presence of the
witnesses of the person is taken.

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Executive Magistrate
Jhamaabad, Bihar

Satyakam Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director

श्री धन्नजय शर्मा
Sikun
11.7.017



STAMP DUTY
00000
37452
INDIA



मैं श्री अशोक कुमार, पिता का नाम श्री धन्नजय शर्मा, निवास स्थान -
कुरै, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार), भारतीय नागरिक,
निम्न बातें शपथ पूर्वक कहता हूँ कि :- हाल मो काम - उत्तर ५६
मान - ८७८२ जिला - मुजफ्फरपुर

1. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में मैं
द्वितीय पक्ष हूँ तथा इसमें दी गयी सभी शर्तों को तथ्यों से पूर्णरूपेण अवगत
हूँ।

2. यह कि सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से पर पूर्णरूपेण उपरोक्त
अनुसूची के अनुसार भू-स्वामीगण के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक
मुस्तकिल रहते हुये चले आ रहे हैं।

3. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में
द्वितीय पक्ष के हैसियत से मुझे खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० - 3 में
वर्णित सम्पत्ति खास हक वो हिस्से में मिला, जिस पर मैं पूर्णरूपेण
भू-स्वामी के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर चलते
चले आ रहे हैं वो हैं। इसके अलावा खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० - 2
एवं 4 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हक, स्वामित्व वो दावा मेरा
नहीं है न भविष्य में होगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका
विवरण खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० - 2 में वर्णित है एवं तृतीय पक्ष
को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका विवरण खाने संख्या - 5 के
अनुसूची सं० - 4 में वर्णित है, को जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो
उपभोग में लावें, प्रथम पक्ष एवं तृतीय पक्ष अपने अनुसूची में मिले सम्पत्ति
को इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के माध्यम से
अपना नाम जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य
समझें दर्ज करा लेंगे, इसमें मुझे वो मेरे उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी
को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

5. यह कि मैंने उपरोक्त शपथ-पत्र वो दस्तावेज के तहत को
पढ़कर समझ लिया है जो मेरी जानकारी में सही और सत्य है।



श्री अशोक कुमार
Resident of श्री धन्नजय शर्मा
District जहानाबाद
whose name has appeared in the court
before me and who has sworn that all the
facts presented in the affidavit are true and
none of its part is false.

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

Ashok Kumar

S. Kumar

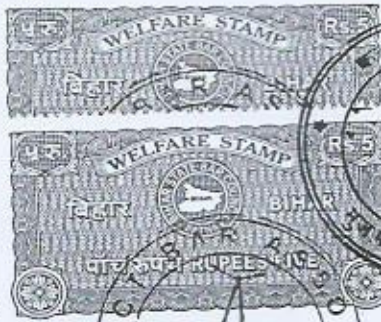
11.7.017

EN. 578/04

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director



STAMP DUTY
00000
37415
INDIA



मैं श्री संतोष कुमार, पिता का नाम श्री धन्नजय शर्मा, निवास स्थान -
कुरै, थाना - घोसी, जिला - जहानाबाद (बिहार), भारतीय नागरिक,
निम्न बातें शपथ पूर्वक कहता हूँ कि :- हाल में काम - अतरफ

1. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में मैं
तृतीय पक्ष हूँ तथा इसमें दी गयी सभी शर्तों को तथ्यों से पूर्णरूपेण अवगत
हूँ।

2. यह कि सभी पक्ष अपने-अपने हिस्से पर पूर्णरूपेण उपरोक्त
अनुसूची के अनुसार भू-स्वामीगण के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक
मुस्तकिल रहते हुये चले आ रहे हैं।

3. यह कि इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र में
तृतीय पक्ष के हैसियत से मुझे खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -4 में
वर्णित सम्पत्ति खास हक वो हिस्से में मिला, जिस पर मैं पूर्णरूपेण
भू-स्वामी के रूप में काबिज दाखिल वो मालिक मुस्तकिल होकर चलते
चले आ रहे हैं वो हैं। इसके अलावा खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -2
एवं 3 में वर्णित सम्पत्ति पर किसी प्रकार का हक, स्वामित्व वो दावा मेरा
नहीं है न भविष्य में होगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका
विवरण खाने संख्या - 5 के अनुसूची सं० -2 में वर्णित है एवं द्वितीय पक्ष
को मिले हक वो हिस्से की सम्पत्ति जिसका विवरण खाने संख्या - 5 के
अनुसूची सं० -3 में वर्णित है, को जिस तरह से चाहें अपने उपयोग वो
उपभोग में लावें, प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपने अनुसूची में मिले सम्पत्ति
को इस यादास्त बँटवारा-सह-पारिवारिक व्यवस्था-पत्र के माध्यम से
अपना नाम जहाँ-जहाँ वो जिस-जिस महकमे में जरूरत वो अनिवार्य
समझें दर्ज करा लेंगे, इसमें मुझे वो मेरे उत्तराधिकारीगण तथा अन्य किसी
को कोई आपत्ति न है वो न होगा।

5. यह कि मैंने उपरोक्त शपथ-पत्र को दस्तावेज के शर्तों को तथ्यों को
पढ़कर समझ लिया है जो मेरी जानकारी में सही और सत्य है।



श्री संतोष कुमार
पिता श्री धन्नजय शर्मा
जिला - जहानाबाद
शपथकर्ता का हस्ताक्षर
5/8/09

Satyakah Infratech Pvt. Ltd.

Vijay Kumar Singh

Director

Signature
Date: 11.7.09

S.K.

11.7.09

11.7.09

5/8/09

Sol. XIV—F. No. 180V.

रसीद मांगगुजारी ।

वाम संकेत । नाम मौजा मय

सगा को, पाना नम्बर ।

वि० को संकेत, वया ।

करव मांगगुजारी/करव रसीद ।

माम रसपत मय वलियस बकाया-व

को संकेत, नम्बर

मौजा नं० १२२५३
 ३५७
 ७७१-५०२५९-२५३

३२१३

२५०

236180

बराजी नगरी

बराजी भावली

तफसील हिसाब लगान शाली ।

०-२-४ ५४१ X

बोव का साकाना मांग मय तफसील (बकाया को हाल) मौजूदा शाल का ।

बोव बावत	साकाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	
२०१९-२०						
माल- (नगरी)	१०-					१०-
गुजारी (भावली)	१०-					१०-
बेव ...	१०-					१०-
पूव ...	१०-					१०-
मुतफरकात ...	१०-					१०-
मीमाव	१०-५					१०-५

तफसील अदायकारी ।

= १०-५

अदायकारी बावत ।	बकाया				मीमावक हाल ।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
२०१३-२०						
माल- (नगरी)					१०-	
गुजारी (भावली)					१०-	
बेव ...					१०-	
पूव ...					१०-	
मुतफरकात ...					१०-	
मीमाव अदायकारी					१०-५	= १०-५

(१) मीमाव कुल (सपजो म) - ५२५५५ (५५५५५)

(२) नाम बेहिन्दा -

(३) कुल बकाया - २

प्राप्त महसूल का बकाया मांगगुजारी पर विचार होकर बकाया पर बिना जरूरी हिंसे वारिफिकेट करी हों) हुए नहीं किया जाता है ।

15/12/19

Sol. XIV—F. No. 180V.

रसीद भोलगुजारी ।

नाम सफल । नाम मौजा मय

कना को बाना नम्बर ।

रसो को प्रेस, मका ।

करब मालकी/सत्य रिप्टी ।

नाम रसत मय बलियस कवाब को

को सकुनत । नम्बर

कुराखी 010252 247 2019-20 236179

कराजी नगरी

कराजी भावली

तफसील हिसाब लगान कानगी ।

0-1-4 4 4

बोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया को हाल) मौजूदा साल का ।

बांग बावत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।	
2019-20						
माल (नगरी)	10-					10-
गुजारी (भावली)	10-					10-
सेव ...	10-					10-
मूद ...	10-					10-
मुतफरफात ...	10-					10-
मीजान	10-4					10-4

तफसील बदायकारी ।

बदायकारी बावत ।	बकाया				मोताबल हाल ।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा ।	३रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	१ला वर्ष ।		
2019-20						
माल (नगरी)					10-	
गुजारी (भावली)					10-	
सेव ...					10-	
मूद ...					10-	
मुतफरफात ...					10-	
मीजान बदायकारी					10-4	210-4

(१) मीजान कुल (सफजो मे) — 422116 6m2m3

(२) नाम देहिन्वा — 2

(३) कुल बकाया — 2

कुराखी 010252 247 2019-20 236179

माल बकाया का बकाया बदायकारी पर लिखा है बकाया पर दिन पर कि लिखित करी हो) दूय नहीं किया जाता है ।

15/6/19

बि० ए० ई०, पन्ना ।

इसीद बालगुजारी ।

କଟକ ମାଳବାରୀ/କଟକ ସିଂହାଣୀ ।

बाम सर्कल । नाम मौजा मय
धना को धाना नम्बर ।

नाम रयत मय वल्लियस बन्नाबन्दी
 वो सुकनत । नम्बर

242	242
-----	-----

धराजी नगरी

द्वाराजी भावली

तफसील हिसाब लगान का तरीका

0-1-4 2 4 | y

बोट का खालाना मांग मय तफसील (नकाया वो हाल) मौजूदा साल का ।

बनि बाबुत	सालामा	नकाया				हाल
		तीन बरं से प्यादा ।	इरा बरं ।	इरा बरं ।	इला बरं ।	
२०१३-२०						
भाल- (नगरी)	१०-					१०-
भालारी (भाबली)	१०-					१०-
सेह ...	१०-	→				१०-
सुद ...	१०-	→				१०-
मुतकरकाह ..	१०-					१०-
मीषान	१०-५०					१०-५०

वफासील बदायफारी ।

बकाया					मोताबल हाल ।	फाजिल
अदायकारी बाबत ।	तीन वर्ष से ज्यादा ।	२रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।	२रा वर्ष ।		
2019-20						
माल (नकदी)					10	
मुजाय (बाबत)					10	
बैज ...					10	
बैज ...					10	
मुतफरकत ...					10	
मीथान बदायकारी					100.50	

(1) यीजान कुल (सपजी में) - 422111 (7/10 2119)
(2) बाइल रेडिगा -

(२) नाम देहिन्या —

(१) कुल बकाया— 2

सुखदः नृणां चन्द्रः सदा विद्यमानः सदा

प्राप्त महार का बकाया यशवन्तमारी को जिसका दो-दोनों पर दिन पर दि दलितिस्ट
करा हो) सब नहीं दिया जाता है ।

15/6/19

1948

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
(एक लाख रुपये से अधिक भ्रमण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र)

आवेदक का नाम सुनील जय शर्मा पिता / प्रति का नाम सु. सु. प्र. सु. शर्मा
निवासी ग्राम अतिरक्त 30 सकारपुर बुधन्याना सड़र अंचल मुजफ्फरी जिला मुजफ्फरपुर

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या	जमाबंदी सं० (एक से अधिक जमाबंदी होने पर सभी जमाबंदियों का उल्लेख)	जमाबंदीधारी का नाम (एक से अधिक जमाबंदीधारी होने पर सभी-सह-हिस्सेदारों के नामों का उल्लेख)	खाता सं०	खातावार खेसरा सं०	खेसरावार रकबा		चौहद्दी				आवेदक का हिस्सा (एकड़ में)		आवेदक के हिस्से की चौहद्दी				अम्मुक्ति
						एकड़	डिसमल	उ०	द०	पू०	प०	एकड़	डिसमल	उ०	द०	पू०	प०	
अतिरक्त 30 सकारपुर बुधन्याना	342	3213	सुनील जय शर्मा	235/165	42 की बगल में 42/40 की प्रकृति 2 क० 8 अ०													
1164								वास्तविक जमाबंदी	सहजिक सीमा	मजिदपुर में दूरी	20 अ०	2 क० 8 अ०		वास्तविक जमाबंदी	मजिदपुर में दूरी	20 अ०		

- आवेदक के हिस्से की भूमि पर आवेदक के दखल की स्थिति।
- लगान भुगतान की स्थिति।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण राजस्व अभिलेखों एवं स्थानीय जांच के आधार पर अंकित किया गया है।
- अंचल निरीक्षक का मतव्य

हल्का सं०

अंचल निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर



अचलाधिकारी का हिस्साक्षर एवं मुहर

भू-स्वाभित्त प्रमाण-पत्र

(एक लाख रुपये से अधिक ग्रहण प्राप्त करने हेतु प्रपत्र)

आवेदक का नाम सुनील कुमार पति का नाम अमरनाथ झा
 निवासी ग्राम अहिरपुर सहायक ग्राम सदर अंचल मुहारी जिला मुजफ्फरपुर

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व ग्रामा से अधिक जमावदी होने पर सभी जमावदियों का उत्तरेख	जमावदीधारी का नाम (एक से अधिक जमावदीधारी होने पर सभी-सह-हिस्सेदारों के नामों का उत्तरेख	खाता सं०	खातावार सं०	खेसवाधार रकमा		चौहदी				आवेदक का हिस्सा (एकड़-गै)		आवेदक के हिस्से की चौहदी				अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	एकड़	डिसमल	च०	द०	गू०	घ०	एकड़	डिसमल	च०	द०	गू०	घ०	19
अहिरपुर उर्फ सोलाहपुर ग्राम	342	1005/6	सुनील कुमार	234/165	52 बीना / 5248 मी पुराना	1 बीना 5 अर		बासुदेव प्र० अ० वाला	सहायक रडि	अनचरण देवी	सड़क	1 बीना 5 अर		बासुदेव प्र० अ० वाला	सहायक रडि	अनचरण देवी	सड़क	

- आवेदक के हिस्से की भूमि पर आवेदक के दखल की स्थिति।
- लगान भुगतान की स्थिति। 19-18
- प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरण राजस्व अभिलेखों एवं स्थानीय जांच के आधार पर अंकित किया गया है।
- अंचल निरीक्षक का मंतव्य

हल्का सं०

अंचल निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

(एक लाख रुपये से अधिक अलग प्राप्त करने हेतु प्रयत्न)

आवेदक का नाम अशोक कुमार पिता / प्रति का नाम अनिल कुमार शर्मा
 निवासी ग्राम अनिलपुर अंश अनिलपुर जिला अनिलपुर
 अंचल अनिलपुर जिला अनिलपुर

राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व धाना से ज्यादा	जमावंदी सं० (एक से अधिक जमावंदी होने पर सभी जमावंदियों का उल्लेख)	जमावंदीधारी का नाम (एक से अधिक जमावंदीधारी होने पर सभी-सह-हिस्सेदारों के नामों का उल्लेख)	खाता सं०	खाताधार सं०	खेसरावार रकमा				चौदही				आवेदक का हिस्सा (एकड़ में)		आवेदक के हिस्से की चौदही				सामयिक
1	2	3	4	5	6	एकड़	हिसमल	उ०	द०	पू०	च०	एकड़	हिसमल	उ०	द०	पू०	च०	19		
अनिलपुर 342	अनिलपुर 342	1006/6	अशोक कुमार	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	अनिलपुर 165	

- आवेदक के हिस्से की भूमि पर आवेदक के दखल की स्थिति।
- लगान भुगतान की स्थिति। (स-18)
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण राजस्व अभिलेखों एवं स्थानीय जांच के आधार पर अंकित किया गया है।
- अंचल निरीक्षक का मंतव्य

हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर



अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर